

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी देवगढ़ जिला राजसमन्द

पीठासीन अधिकारी : श्री मोहकम सिंह सिनसिनवार, आर.ए.एस.
(जीसीएमएस नं. 2023/233)

प्रकरण संख्या:- 156/2023

तारीख दायर:- 23/10/2023

निर्णय दिनांक:-30/10/2025

उनवान

1. पर्वतसिंह पिता कानसिंह जाति राजपूत निवासी देवपुरा तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द
प्रार्थीगण

बनाम

1. भैरूलाल पिता हिरालाल जाति रेगर निवासी लसानी तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द
2. वाली पत्नी हीरालाल जाति रेगर निवासी लसानी तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द
3. मांगी पुत्री पोखर पत्नी भैरा जाति माली निवासी लसानी तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द
4. वरदी पत्नी पोखर जाति माली निवासी लसानी तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द
5. दीपक उपाध्याय पिता मांगीलाल जाति ब्राहमण निवासी लसानी तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द
6. ओमप्रकाश पिता शम्भुलाल जाति निवासी लसानी तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द

अप्रार्थीगण

प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 राज. भू0 राजस्व अधिनियम 1956
:: निर्णय ::

प्रार्थीगण की ओर से प्रार्थीगण अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 राज0 भू0 राजस्व अधिनियम 1956 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थीगण के स्वामित्व, आधिपत्य, खातेदारी एवं कब्जे की भूमि राजस्व ग्राम लसानी पटवार मण्डल लसानी तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द में खाता संख्या 306 आराजी संख्या 2746 कुल किता 01 कुल रकबा 1.0800 हैक्टेयर भूमि स्थित है प्रार्थी की जमीन के समीप अप्रार्थीगण की जमीन होकर मौके पर मिली हुई है। जिससे फसल बुवाई के समय विवाद होता रहता है। उक्त आराजियात की पत्थरगढ़ी हेतु प्रार्थी द्वारा निवेदन किया गया है।

प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र इस न्यायालय में दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं चाहने से अप्रार्थीगण के विरुद्ध कार्यवाही ड्रॉप की गई।

अधिवक्ता प्रार्थी की बहस सूनी गई। बहस पर मनन किया गया। पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। पत्थरगढ़ी द्वारा किसी प्रकार का कब्जा संपूर्ण नहीं किया जाता है। वैसे भी विधि में प्रत्येक खातेदार को अपनी भूमि को सीमाज्ञान/पत्थरगढ़ी



कराये जाने का अधिकार निहित कर रखा है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाता है।

—:आदेश:—

प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर आदेश दिये जाते हैं कि राजस्व ग्राम लसानी पटवार मण्डल लसानी तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द में खाता संख्या 306 आराजी संख्या 2746 कुल किता 01 कुल रकबा 1.0800 हैक्टेयर भूमि की पत्थरगढ़ी कराये जाने हेतु तहसीलदार देवगढ़ को आदेशित किया जाता है कि पत्थरगढ़ी से पूर्व उभयपक्षों (खातेदारान् एवं विपक्षीगण/पड़ौसी खातेदारान्) को पूर्व में ही तिथि एवं समय निर्धारण संबंधी सूचना पत्र जारी किया जावे। न्यायालय में कोई वाद विचाराधीन अथवा स्थगन आदेश प्रभावी नहीं होने की शर्त पर पत्थरगढ़ी/सीमांकन की कार्यवाही की जावें। पत्थरगढ़ी आदेश को कब्जा संपूर्ण आदेश नहीं समझा जावें। वक्त सीमांकन प्रार्थी अपनी भूमि पर सीमाचिन्ह स्वयं के खर्चे पर स्थापित करे। पालना हेतु तहसीलदार देवगढ़ को लिखा जावे पत्रावली फ़ैसल शुमार हो नम्बर से कम की जावे।



Done/ 11/01/25
(मोहकम सिंह सिनीसिनवार R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी देवगढ़
(जिला-राजसमन्द-राज.)